

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1975

का० आ० 4189.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 690(अ), तारीख 8 नवम्बर, 1973 की अधिसूचना द्वारा उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमियों और अधिकारों को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने तथा बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि ;

(क) इस से उपाबद्ध अनुसूची 'क' में वर्णित 142.75 एकड़ (लगभग) या 57.76 हेक्टेयर (लगभग) परिमाण की भूमि ; और

(ख) इस से उपाबद्ध अनुसूची 'ख' में वर्णित 82.75 एकड़ (लगभग) या 33.49 हेक्टेयर (लगभग) परिमाण की भूमियों में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, खोदने और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों ;

का अर्जन किया जाना चाहिए ;

मतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त अनुसूची 'क' में वर्णित 142.75 एकड़ (लगभग) या 57.76 हेक्टेयर (लगभग) परिमाण की भूमि को तथा उक्त अनुसूची 'ख' में वर्णित 82.75 एकड़ (लगभग) या 33.49 हेक्टेयर (लगभग) परिमाण की भूमियों में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, खोदने और उनकी तलाश करने, उन पर कार्य करने उन्हें प्राप्त करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों को अर्जित किया जाता है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त गिरिडीह (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक कार्यालय, 1 काउन्सिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता में या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), कार्यालय "दरभंगा हाऊस", रांची में किया जा सकता है ।

अनुसूची—'क'

बोकारो खण्ड-1 (सवांग विस्तारण)

पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र

उपखण्ड—'क'

डी० आर० जी० सं० राजस्व/25/74

तारीख 2-7-74

(अर्जित की गई भूमियों को दर्शाते करते हुए)

## सर्वाधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	सवांग	गुमिया	107	गिरिडीह		भाग
2.	अरमो	नवडीह	11	गिरिडीह		भाग
3.	गोविन्दपुर	(पेमाँ)	15	..		..

कुल क्षेत्र : 60.75 एकड़ (लगभग)

या 24.58 हेक्टेयर (लगभग)

ग्राम सवांग में अर्जित प्लॉट सं० : 1282 (भाग) ।  
ग्राम अरमो में अर्जित प्लॉट सं० : 444 और 776 ।  
ग्राम गोविन्दपुर में अर्जित प्लॉट सं० : 2272 (भाग)

## सीमा वर्णन

क-ख—रेखा कुनार नदी (ग्राम अरमो में प्लॉट सं० 774 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ तथा सवांग और सस्बेरा ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ से होकर जाती है ।

ख-ग-घ—रेखाएं ग्राम सवांग में कुनार नदी के आंशिक दाएं किनारे के साथ-साथ जाती है ।

घ-ङ—रेखा ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 1282 (कुनार नदी) से हो कर जाती है (सवांग कोलियरी के बालू धूत धरातल क्षेत्र के साथ भी जिसकी सामान्य सीमा है ।

ङ-च—रेखा कुनार नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ-साथ (अर्थात् सवांग और अरमो ग्रामों, सवांग और गोविन्दपुर ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है (सवांग रेखांक, बालू धूत धरातल के क्षेत्र के साथ जिसकी सामान्य सीमा भी है) ।

च-छ—रेखा ग्राम गोविन्दपुर में प्लॉट सं० 2772 (कुनार नदी) से होकर जाती है, (सवांग कोयला खान के साथ भी जिसकी आंशिक सामान्य सीमा है) ।

छ-क—रेखा गोविन्दपुर अरमो ग्रामों में कुनार नदी के आंशिक दाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और आरम्भ बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

उप-खण्ड—'ख'

## सर्वाधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	सवांग	गुमिया	107	गिरिडीह		भाग

कुल क्षेत्र : 82.00 एकड़ (लगभग)

या 33.18 हेक्टेयर (लगभग)

ग्राम सवांग में अर्जित प्लॉट सं० :—44 (भाग), 808 (भाग), 809 (भाग), 810 (भाग), 818 (भाग), 831 (भाग), 832 (भाग), 1281 (भाग) और 1295 (भाग) ।

**सीमा वर्णन**

ज-झ—रेखा ग्राम सवांग के प्लॉट सं० 44, 809, 808, 810 और 818 से हो कर जाती है।

झ-ञ-ट—रेखाएं ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 818, 1281, 818, 832 और 831 से हो कर जाती हैं (खनन अधिकारों वाले उपखण्ड 'घ' के साथ भी जिसकी सामान्य सीमा है)।

ट-ठ—रेखा ग्राम सवांग प्लॉट सं० 831, 832, 1281, 1895 और 1281 से हो कर जाती है। (सवांग कोलियरी के साथ भी जिसकी आंशिक सामान्य सीमा है)।

ठ-ड—रेखा गोविन्दपुर और सवांग ग्रामों में कुनार नदी के आंशिक दाएं किनारे के साथ-साथ जाती है (खनन अधिकारों वाले उपखण्ड 'ग' के साथ भी जिसकी आंशिक सामान्य सीमा है)।

ड-ड-ण-त-थ-द-ध-न-प-फ—रेखाएं ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 1281 और 818 से होकर जाती हैं खनन अधिकारों वाले उपखण्ड 'ग' के साथ भी जिसकी आंशिक सामान्य सीमा है)।

फ-ब—रेखा ग्राम सवांग के प्लॉट सं० 818, 809, 818 और 44 से हो कर जाती है।

ब-ज—रेखा प्लॉट सं० 44 की मध्य रेखा के साथ-साथ (अर्थात् सवांग और ससवारा ग्रामों की आंशिक सीमा के साथ) जाती है और आरंभ बिन्दु 'ज' पर मिलती है।

अनुसूची-'ख'  
उप-खण्ड-'ग'

डी०/आर०/जी०/सं० राजस्व/26/74  
तारीख 2-7-74

(उन भूमियों को दर्शित करते हुए जिनमें खनिज के खनन, खदान, बोर करने, खोदने और उनकी तलाश करने, प्राप्त करने, पर कार्य करने और उनके ले जाने के अधिकार अर्जित किए गए हैं)।

**खनन अधिकार**

क्रम सं०	ग्राम	थाना सं०	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1. सवांग		गुमिया	107	गिरिडीह		भाग
कुल क्षेत्र : 61.75 एकड़ (लगभग)						
या 24.99 हेक्टेयर (लगभग)						

ग्राम सवांग में अर्जित प्लॉट सं० :—818 (भाग), 1281 (भाग), 1282 (भाग) और 1775 (भाग)।

**सीमा वर्णन**

ग-म-भ-फ—रेखाएं ग्राम सवांग के प्लॉट सं० 1281 और 818 से हो कर जाती है।

फ-प-न-ध-द-व-त-ण-ड-ड—रेखाएं सवांग ग्राम के प्लॉट सं० 818 और 1281 (सभी अधिकारों वाले उपखण्ड 'ख' के साथ भी जिसकी आंशिक सामान्य सीमा है) से हो कर जाती है।

ड-ड—रेखा सवांग और गोविन्दपुर ग्रामों में कुनार नदी में आंशिक दाएं किनारे (सभी अधिकारों वाले उपखण्ड 'ख' से साथ भी जिसकी आंशिक सामान्य सीमा है) के साथ साथ जाती है।

ठ-च—रेखा ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 1775 से हो कर अर्थात् सवांग कोयला खान की आंशिक सामान्य सीमा के साथ साथ जाती है।

च-ड—रेखा कुनार नदी की आंशिक मध्य रेखा के साथ साथ (अर्थात् सभी अधिकारों वाले उपखण्ड 'क' आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है।

ड-घ—रेखा ग्राम सवांग प्लॉट सं० 1282 से हो कर (अर्थात् सभी अधिकारों वाले उपखण्ड 'क' आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है।

घ-ग—अरेखा कुनार नदी के आंशिक दाएं किनारे के साथ साथ (अर्थात् सभी अधिकारों वाले उपखण्ड 'क' की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ) जाती है और आरंभ बिन्दु 'ड' पर मिलती है।

**उप-खण्ड-घ****खनन अधिकार**

क्रम संख्या	ग्राम	थाना सं०	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1. सवांग		गुमिया	107	गिरिडीह		भाग
कुल क्षेत्र : 21.00 एकड़ (लगभग)						
या 8.50 हेक्टेयर (लगभग)						

ग्राम सवांग में अर्जित प्लॉट सं० : 803 (भाग), 804 (भाग), 805, 818 (भाग), 825 (भाग), 828 (भाग), 829 (भाग), 831 (भाग), 832 (भाग) और 1281 (भाग)।

**सीमा वर्णन**

झ-य—रेखा ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 818, 804, 818 और 803 से हो कर जाती है।

य-ट—रेखा ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 808, 818, 825, 824, 829 और 831 (जिसकी सवांग कोयला खान के साथ भागतः सामान्य सीमा है) से हो कर जाती है।

ट-झ—रेखा ग्राम सवांग में प्लॉट सं० 831, 832, 818, 1281 और 818 (जिसकी सभी अधिकारों वाले उपखण्ड 'ख' के साथ सामान्य सीमा है) से हो कर जाती है और आरंभ बिन्दु झ पर मिलती है।

[सं० फ० 25/24/73-सी 5/सैज]

New Delhi, the 5th September, 1975

**S.O. 4189.**—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines), S.O. No. 690 (E) dated the 8th November, 1973, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands and rights specified in the Schedules appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made its report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report the competent authority and after consulting the Government of Bihar is satisfied that;

(a) the land measuring 142.75 acres (approximately) or 57.76 hectares (approximately) described in Schedule 'A' appended hereto, and;

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 82.75 acres (approximately) or 33.49 hectares (approximately) described in Schedule 'B' appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government

hereby declares that the land measuring 142.75 acres (approximately) or 57.76 hectares (approximately) described in the said Schedule 'A' and the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 82.75 acres (approximately) or 33.49 hectares (approximately) described in the said schedule 'B' are hereby acquired.

The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the National Coal Development Corporation Limited (Revenue Section), "Darbhanga House", Ranchi.

SCHEDULE 'A'  
BOKARO BLOCK—I (SAWANG EXTENSION)  
EAST BOKARO COALFIELD  
SUB- BLOCK—'A'

All Rights						DRG No. Rev/26/74 Dated 2-7-74 (Showing lands acquired)
Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Sawang	Gumia	107	Giridih		Part
2.	Armo	Nawadih (Berma)	11	Giridih		Part
3.	Gobindpur	"	15	Giridih		Part
Total Area :						60.75 acres (approximately) or 24.58 hectares (approximately)
Plot number acquired in village Sawang			1282 (Part).			
Plot numbers acquired in village Armo			474 & 776.			
Plot number acquired in village Gobindpur			2772 (Part).			

BOUNDARY DESCRIPTION :

A-B—line passes through Kunar Nadi (i.e. along the Western boundary of plot No. 474 of Village Armo and along the part common boundary of villages Sawang and Sasbera).

B-C-D—lines pass along the part Right Bank of Kunar Nadi in village Sawang.

D-E—line passes through plot number 1282 (Kunar Nadi) of village Sawang (which also forms common boundary with the surface area of Sand Lease of Sawang colliery).

E-F—line passes along the part central line of Kunar Nadi (i.e. along the part common boundary of villages Sawang and Armo, Sawang & Gobindpur) (which also forms common boundary with the Surface area of Sand Lease of Sawang Colliery).

F-G—line passes through plot number 2772 (Kunar Nadi) of village Gobindpur /which also forms part common boundary with Sawang Colliery).

G-A—line passes along the part left Bank of Kunar Nadi in villages Gobindpur & Armo and meet at starting point 'A'.

All Rights						SUB-BLOCK—'B'
Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Sawang	Gumia	107	Giridih		Part.
Total area :						82.00 acres (approximately) or 12.18 hectares (approximately)
Plot numbers acquired in village Sawang			44 (Part), 808 (Part), 809 (Part), 810 (Part), 818 (Part), 831 (Part), 832 (Part), 1281 (Part) & 1295 (Part).			

## BOUNDARY DESCRIPTION :

H-I—line passes through plot numbers 44, 809, 808, 810 and 818 of village Sawang.

I-J-K—lines pass through plot numbers 818, 1281, 818, 832 and 831 of village Sawang (which also forms common boundary with sub-block 'D' Mining Rights).

K-L—lines pass through plot numbers 831, 832, 1281, 1295, 1281 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sawang colliery).

L-M—line passes along the part Right Bank of Kunar Nadi in villages Gobindpur and Sawang (which also forms part common boundary Sub-Block 'C'—(Mining Rights)).

M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V—lines pass through plot numbers 1281 and 818 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sub-Block 'C' Mining Rights.)

V-W—line passes through plot numbers 818, 809, 818 and 44 of village Sawang.

W-H—line passes along the Central line of plot number 44 (i.e. along the part common boundary of villages Sawang and Sasbera and meets at starting point 'H').

SCHEDULE—'B'  
SUB-BLOCK—'C'

DRG No. Rev/26/74

Dated 2-7-74

(Showing lands where rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals are acquired).

Mining Rights		Thana	Thana number	District	Area	Remarks
Sl. No.	Village					
1.	Sawang	Gumia	107	Giridih		Part
				Total area : 61.75 acres (approximately) or 24.99 hectares (approximately)		
Plot numbers acquired in village Sawang				818 (Part), 1281 (Part), 1282 (Part) and 1775 (Part).		

## BOUNDARY DESCRIPTION :

C-Y-X-V—lines pass through plot numbers 1281 and 818 of village Sawang.

V-U-T-S-R-Q-P-O-N-M—lines pass through plot numbers 818 and 1281 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sub-Block 'B'—All Rights).

M-L—line passes along the part Right Bank of Kunar Nadi in villages Sawang and Gobindpur (which also forms part common boundary with Sub-Block 'B'—All Rights).

L-F—line passes through plot number 1775 of village Sawang (i.e. along the part common boundary of Sawang colliery).

F-E—line passes along the part Central line of Kunar Nadi (i.e. along the part common boundary of Sub-Block 'A' All Rights).

E-D—line passes through plot numbers 1282 of villages Sawang (i.e. along the part common boundary of sub-block 'A' All Rights).

D-C—line passes along the part Rights Bank of Kunar Nadi (i.e. along the part common boundary of sub-block 'A' All Rights) and meets at starting point 'C'.

## SUB-BLOCK—'D'

Mining Rights		Thana	Thana number	District	Area	Remarks
Sl. No.	Village					
1.	Sawang	Gumia	107	Giridih		Part
				Total area : 21.00 acres (approximately) or 8.50 hectares (approximately)		
Plot numbers acquired in village Sawang				803 (Part), 804 (Part), 805, 818 (Part), 825 (Part), 828 (Part), 829 (Part), 831 (Part), 832 (Part) and 1281 (Part).		

[No. 25/24/73—CS/CEL]

## BOUNDARY DESCRIPTION :

I-Z—line passes through plot numbers 818, 804, 818 and 803 of village Sawang.

Z-K—line passes through plot numbers 803, 818, 825, 828, 829 and 831 of village Sawang (which also forms part common boundary with Sawang colliery).

K-J-I—lines pass through plot numbers 831, 832, 818, 1281 and 818 of village Sawang (which also forms common boundary with Sub-Block 'B' All Rights) and meets at starting point I.

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

का० प्रा० 4190.—कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में पृष्ठ 2895-2901 पर प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन इस्पात और खान मंत्रालय के खान और धातु विभाग की अधिसूचना सं० का० प्रा० 2630 तारीख 9 अगस्त, 1965 को विद्युत् प्रकाशित करती है।

[सं० फ० 19(23)/75(सेल)]